



अवामे

श्रीमान् उपलब्ध अधिकारी महोदय  
खीवंत

प्राथीगत	बनाम	अप्राथीगत
हजारीराम वज्जराह		मांगू राम वज्जराह

पार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) RTI Act

राजिनामा

मान्यवरजी,  
उपरोक्त अनुदान में पक्षकारान के मध्य  
राजिनामा हो चुका है जो निम्न प्रकार है -

(1) यह है कि राम खोलियाडर के खा. 394 में ले  
प्राथीगत ने बीच में ले अथवा में पूर्ण वरम 24 पुत्र  
चौड़ा रास्ता चाहा है परन्तु पक्षकारान के मध्य  
राजिनामा हो चुका है किन्तु अनुदान खा. 394  
रकम 38.03 की धा की परिचामी भीमा ले 22 पुत्र  
चौड़ा रास्ता अप्राथीगत ने 22 पुत्र - चौड़ा रास्ता बना  
लय किया है किन्तु दोनो पक्षकारान सहमत है कि  
पुत्र रास्ता खोला दिया गया है उक्त रास्ता कुचल  
लक ले खा. 394 की परिचामी भीमा ले खा. 395  
जोगाराम पुत्र लेखाराम के खोल ले ले खा. 395  
की उदरी भीमा ले 22 पुत्र चौड़ा रास्ता प्राथीगत के  
अंतर्गत रास्ता सहमतियों निकाला गया है ।

(2) यह है कि उक्त रास्ते की समीन पक्षकारान ने राजल  
रकम में लाभपत्र करकाना चाहे थे परन्तु कलेजवटोने  
ले पंचायत को दान किया है पंचायत को दान सुमि  
रास्ता के लिए है जो (म) पक्षकारान वाकि सुमि  
पंचायत के साथ मिलकर रास्ते के लिए लाभपत्र  
करका के अथवा वास्ता कोरियर करका के ।

(3) यह है कि पंचायत को दान सुमि रास्ते के लिए है  
मांगे पा - वालु रास्ता है किन्तु  
परिष्कारण

आर.सी. वज्जराह

श्री मांगू राम  
वज्जराह

21) यह है कि अद्य पक्षकारान के मध्य किम) फका का विवाद वही रह गया है ख. 394 की परिधायी विम) पर 22 जुन-दोड़) राव) हमेशा के लिए खुला रहेगा)

उक्त रा विनामा ग्राम पंचायत में बैठकर ~~है~~ आपकी लक्ष्मि व लमझासम ल किया है जो दोनों पक्षकारान को मंजूर है।

दिनांक 23-2-2024।




अमनसिंह

अ. वि. शर्मा  


अ. वि. शर्मा



अमनसिंह



अ. वि. मांशूराम


अ. वि. मांशूराम

अ. वि. शर्मा



अ. वि. शर्मा

अ. वि. शर्मा



अ. वि. शर्मा